संशोधित नियमावली

१. संस्था का नाम : चौधरी तेजपाल सिंह जन कल्याण समिति।

२. संस्था का पूरा पता : 151, जुराखन खेड़ा शहर व जिला उन्नाव।

३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

४. संस्था की सदस्यता एवं वर्ग

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति समिति के विकास हेतु 501/– रू. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्धक/मंत्री की लिखित सहमति एवं स्वीकृत पत्र प्राप्त करना होगा।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति समिति के उद्देश्यों में आस्था रखते होंगे या संस्था के विकास हेतु 51/– रू. वार्षिक सदस्यता शुल्क चन्दा स्वरूप निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे सामान्य सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्धक/मंत्री की लिखित सहमति एवं स्वीकृत पत्र प्राप्त करना होगा।

५. सदस्यता की समाप्ति :
१. मृत्यु हो जाने पर ।
२. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
३. संस्था के विपरीत हानि कर कार्य करने पर ।
४. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर
५. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
६. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।
७. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर

६. संस्था के अंग : अ.साधारण सभा
ब. प्रबन्धकारिणी समिति

७. साधारण सभा

गठन : साधारण सभा का गठन आजीवन और सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है

सूचना अवधि : साधरण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी

गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों, के बहुमत से तय किया जायेगा ।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :
१. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना ।
२. संस्था का वार्षिक बजट पास करना ।
३. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।
४. संस्था के नियमों एवं विनियमों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना

८. प्रबन्धकारिणी समिति :

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

[illegible]

गठन होगा जिसमें अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक/मंत्री एक, कोषाध्यक्ष–एक, एवं सदस्य–5 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 9 होगी जो आवश्यकतानुसार घटाकर न्यूनतम 7 या बढ़ाकर 21 तक की जा सकती है ।

बैठक : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में भी दी जायगा।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :

१. संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
२. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
३. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।
४. समाज कल्याण विभाग उ०प्र० तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, भारत सरकार खेलकूद मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय,विकलांग निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,महिला कल्याण युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, अपार्ड, डी०आर०डी०ए०, एच०आर०डी०ए०, नाबार्ड,आक्सफेम, इण्डिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आर०सी०एच०, स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, यूनीसेफ, सिडबी पर्यावरण मन्त्रालय,स्वास्थ्य विभाग/स्वास्थ्य मंत्रालय,विकलांग विभाग/महिला कल्याण निगम, निदेशालय, बोर्ड,युवा–कार्यक्रम एंव खेल मंत्रालय भारत सरकार ,अपार्ड नाबार्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, सिडबी पर्यावरण मन्त्रालय स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा विभाग, महिला कल्याण निगम बोर्ड,आयोग कमीशन निदेशालय पशु मंत्रालय, विश्व बैंक,यू०पी०डी० एस०पी० डवारकरा, सैफ, इण्डिया,सडा हुडा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व आयोग दानशील व्यक्तियों, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ समाज सेवी संस्थाओं से वित्तीय सहायता दान अनुदान व अन्य चन्दा ऋण प्राप्त करके उद्देश्यो की पूर्ति में लगाना
५. समिति द्वारा विद्यालयो महाविद्यालयो का संचालन किया जाएगा संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए संस्था के हित में चल अचल सम्पति का क्रय–विक्रय करना तथा उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष
सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
बैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना व बैठको को स्थगित करना।
राजकीय एवं शासकीय कार्य करना।
कार्यक्रमो की रूपरेखा तैयार करना।

उपाध्यक्ष
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त कार्य करना तथा अध्यक्ष के कार्य में सहयोग करना।

प्रबन्धक/मंत्री
संस्था के कार्यों को मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।

सत्य प्रतिलिपि

संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
सदस्यो के नामांकन पत्र पर विचार करना।
कार्यक्रमो की रूपरेखा तैयार करना।
चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा रखना।
चल,बिल,डिमान्डर ड्राफ्टो पर हस्ताक्षर करना।
कार्मचारियो अधिकारियो की नियुक्ति ,निष्कासन, पदोन्नति, कार्यमुक्ति करना।
संस्था हित में चल अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय करना ।
संस्था की सम्पत्ति को बैंक में बन्धक रख कर ऋण प्राप्त करना तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।
समिति के सदस्यों की सदस्यता प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करना उसके उपरान्त ही सदस्यता प्रदान करना।
समिति के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लेना तथा अपना निर्णयक मत देना समिति पर निर्णय रखना।
संस्था के लिए जमीन खरीदना व बेचना का पूर्ण अधिकार सिर्फ प्रबन्धक/मंत्री को होगा।
व्यय की स्वीकृति करना तथा अन्तिम निर्णय लेना।

कोषाध्यक्ष — आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।
प्रबन्धक/मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
अन्य सदस्यो से दान व चन्दा प्राप्त करे उसकी यथा विधि रसीदे देना।
प्रबन्धक/मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बिलो का नियमानुसार भुगतान करना।

१०. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :
: संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा।

११. संस्था का कोष : संस्था का समस्त कोष किसी भी स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/प्राइवेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/अन्य किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/मंत्री, एवं/ कोषाध्यक्ष, ~~उपाध्यक्ष~~ इन तीनो मे से किन्ही के संयुक्त हस्ताक्षर से ~~अथवा प्रबन्धक/मंत्री के एकल हस्ताक्षर से भी~~ खाते का संचालन किया जा सकेगा ।

१२. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण आडिट) :
संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा ।

१३. संस्था के द्वारा या उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही से संचालन का उत्तरदायित्वः
संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/मंत्री पर होगा या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति पर होगा क्षेत्रीय न्यायालय में होगा।

१४. संस्था के अभिलेख — सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर कैश बुक, आदि।

१५. विघटन — संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति की कार्यवाही सोसाइटीज् रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

(सत्य प्रतिलिपि)
हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

साधारण सभा द्वारा नियमावली संशोधन कार्यवाही की प्रतिलिपि

आज दिनांक 25-4-2016 को संस्था चौधरी तेजपाल सिंह जनकल्याण समिति, 151 जुराखन खेडा शहर व जिला उन्नाव पत्रावली संख्या 1-145695 के कार्यालय प्रागंण में अध्यक्ष श्री चौधरी जैदान सिंह जी की उपस्थिति में समय 5-30 मिनट पर बैठक सम्पन्न हुई बैठक में कुल 16 सदस्यों में से 11 सदस्य उपस्थित हुए सभा का कोरम पूरा रहाः–

प्रस्ताव नं०–१

पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचारः–

पिछली कार्यवाही अध्यक्ष महोदय ने पढ़कर सभा में सुनाई जिसकी पुष्टि सर्वसम्मति से की गई।

प्रस्ताव नं० २

नियमवली में संशोधन पर विचारः–

अध्यक्ष महोदय ने सभा को अवगत कराया कि संस्था की पंजीकृत नियमावली मे कुछ पैरे अधूरे है जिसके कारण नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ और निर्णय लिया गया कि संशोधित नियमावली पंजीकृत कर ली जाए ताकि भविष्य में कोई समस्या न उत्पन्न होने पाए जिसका दायित्व प्रबन्धक/मंत्री महोदय को सौपा गया ।

अन्य प्रस्तावों पर विचारः–

अध्यक्ष महोदय ने सभा का धन्यवाद दिया और सभा का विसर्जन किया ।

सत्यप्रतिलिपिः–

हस्ताक्षरः–

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ